UPLL010001762026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि०), ललितपुर।
उपस्थित– यादवेन्द्र सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. CODE– UP–6123
सेशन केस सं०–121/2026
उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विद्युत विभाग प्रति रामेश्वर प्रसाद

आदेश–पत्र

दिनांकः 14.03.2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुयी।

अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय सूची से बिल व अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी पत्र कागज सं० **15 क/2** दाखिल करते हुये कथन किया गया है, कि उसने राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क की धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी है और अब कोई बकाया नहीं है तथा अधिशाषी अभियन्ता की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र को सत्यापित करते हुये कहा गया है, कि उक्त वाद के निस्तारित होने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152(2)(1) के अनुसार उपभोक्ता अथवा अभियुक्त द्वारा धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेंगी या जारी नहीं रखी जायेंगी, जबकि इसी अधिनियम की धारा 152(3) के अनुसार ऐसे मामले में दं.प्र.सं. की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोष मुक्ति समझी जायेगी।

प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता/अभियुक्त द्वारा धारा 152 के अनुसार राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क की धनराशि वादी विद्युत विभाग में जमा कर दिये जाने के कारण धारा 152(2)(1) के अनुसार उसके विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार उपभोक्ता/अभियुक्त को धारा 152(3) के अंतर्गत दोष मुक्त किया जाना न्याय संगत होगा।

आदेश

उपभोक्ता/अभियुक्त **रामेश्वर प्रसाद** को धारा 152(3) के अंतर्गत **धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003** के अपराध में दोष मुक्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(यादवेन्द्र सिंह–I),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),
ललितपुर।
J.O. CODE– UP–6123

Digitally signed by YADAVENDRA SINGH
Date: 2026.03.16 15:57:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court